Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

राजस्थान की राजनीति एवं मतदान व्यवहार

मनोज खीचड़

शोधार्थी
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर

शोध सारांश:
राजस्थान में मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन है जो अतीत और वर्तमान के भारत में मतदान व्यवहार की गतिशीलता को दर्शाता है। राजस्थान के मतदान व्यवहार एवं जनमत निर्माण के मापन के लिए कोई एक सर्वमान्य पद्धति का निर्माण नहीं किया जा सकता। राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता के कारण जनमत निर्माण के भिन्न–भिन्न प्रतिरूप है। भिन्न–भिन्न राजनीतिक संस्कृति वाले प्रदेशों एवं एक ही प्रदेश के सभी भागों की चुनावी राजनीति के लिये केवल एक पद्धति पर्याप्त नहीं है। अतः राजस्थान के विभिन्न जातीय एवं जनजातीय समुदायों के चुनावी राजनीति के नवीन आयामों को खोजना इस शोध के लिए समीचीन होगा।

मुख्य शब्द– मतदान व्यवहार,मतदान,संविधान, स्वशासन, राजनीति।

राजनीति

राजनीति की सबसे आम परिभाषा यह है की जहां विरोधाभास या असहमति होती है वहां सहमति बनाना या बिना हिंसा के सहमति पूर्ण निर्णय लेना ही राजनीति है जो आमतौर पर जनता की भलाई से जुड़े निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

राजनीति, का संबंध उस गतिविधि से है जिससे लोग आम नियमों को बनाते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं और उनमें बदलाव करते हैं जिनके तहत वे रहते हैं। इस तरह, राजनीति टकराव और सहयोग की घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। एक तरफ, विरोधी राय, अलग–अलग आकांक्षा, प्रतिस्पर्धी हित या विरोधी हितों का होना उन नियमों के बारे में असहमति की गारंटी देता है जिनके तहत लोग रहते हैं। दूसरी तरफ, लोग यह समझते हैं कि इन नियमों पर असर डालने या यह पक्का करने के लिए कि वे कायम रहें, उन्हें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। यही वजह है कि राजनीति के महत्व को अक्सर टकराव सुलझाने की प्रक्रिया के तौर पर दिखाया जाता है, जिसमें विरोधी विचारों या प्रतिस्पर्धी हितों को एक–दूसरे के साथ मिलाया जाता है**(ए. हेवूड)**।

राजनीति को जब व्याहारिक रूप मे हम समाज मे देखते है तो हमे यह राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ती हुई दिखती है जिसमे लोगों की भागीदारी एक जरूरी आयाम की तरह होती है आज दुनिया के ज्यादातर संप्रभु देश राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर लोकतंत्र को मानते हैं। आज की दुनिया में, लोकतंत्र के विचार को आमतौर पर अब तक की सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है जो बराबरी, भाईचारे और संप्रभु के खास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र का विचार सच में उन कई समस्याओं को हल करने की एक बड़ी उम्मीद देता है जिनसे लोग पिछली सरकारों या तानाशाही या सैनिक शासन जैसे किसी दूसरे राजनीतिक व्यवस्था में परेशान थे।

मतदान

मतदान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आम सहमति बनाई जाती है इसके साथ ही मतदान आधुनिक युग में व्यक्ति की नागरिकता से भी जुड़ा हुआ है जहां हमें देखने को मिलता है, कि प्राचीन काल में या ग्रीक काल में व्यक्ति का मतदान अधिकार उसकी नागरिकता या अवकाश कालीन समय से जुड़ी हुई रहती थी जिसके लिए उसकी राजनीति में निरंतर भागीदारी करना आवश्यक माना जाता था वही हम यह देखते हैं कि जब रोमन काल आता है तो व्यवस्था

में कानूनी नागरिकता की एक नई परिभाषा उभर कर आती है जिसमें सभी वे नागरिक या सभी वे सदस्य जो राज्य के निवासी होते हैं सामान्यतः उनके पास मतदान अधिकार भी होता है।
मतदान की संकल्पना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। **याकूब एट अल. (2023)** मतदान को एक ऐसे तरीका बताते हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी पसंद जाहिर करते है और एक साथ मिलकर निर्णयों को प्रभवित करते हैं, जो लोकतांत्रिक जुड़ाव और प्रतिनिधित्व में इसकी अहमियत को दिखाता है। **कॉनिट्जर और सैंडहोम (2023)** इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए मतदान को हिस्सा लेने वालों के बीच एक रणनीतिक बातचीत के तौर पर दिखाते हैं, जहाँ लोग न सिर्फ अपनी पसंद बताते हैं बल्कि दूसरों के व्यवहार का अंदाजा भी लगाते हैं, जिससे सामाजिक विकल्प सिद्धांत की मुश्किलें दिखती हैं। यह नजरिया मतदान के रणनीतिक पहलू पर जोर देता है, जहाँ दूसरों की संभावित पसंद पर विचार करना प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है।

व्यवहार

मनोवैज्ञानिक शब्दों में, व्यवहार का मतलब है, आंतरिक एवं बाहरी अनुकरण की प्रतिक्रिया में लोगों की दिखाई गई कार्रवाई और तौर–तरीकों की सीमा है । व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा, क्रिया, और उन अन्तःक्रिया का विश्लेषण करना शामिल है जो यह तय करते हैं कि लोग अपने माहौल और दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। व्यवहार का अध्ययन लंबे समय से मनोविज्ञान के केंद्र मे रहा है, जिसमें अलग–अलग सिद्धांत इसके अर्थ के बारे में जानकारी देती हैं। बी.एफ. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यह मानती है कि व्यवहार, पुनर्बलन और दंड का परिणाम है **(स्किनर, 1953)**।

मतदान व्यवहार

मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का वह रूप है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है कि मतदाताओं को कौन सी परिस्थितिया एवं मुद्दे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करती है ।
मतदान व्यवहार शब्द कोई नयी धारणा नहीं है। इसका मतलब वोटिंग रिकॉर्ड की जांच करना, वोटिंग के आंकड़ों को इकट्ठा करना और चुनावी सुधारों की मुश्किलों से कहीं ज्यादा है। वोटिंग बिहेवियर शब्द वोटिंग और बिहेवियर को मिलाकर बना एक मिला–जुला शब्द है। वोटिंग का मतलब है चुनाव में चुनाव करना, जबकि बिहेवियर का मतलब है कि कोई व्यक्ति या चीज किसी खास मामले में कैसे काम करता है। समय के साथ, इस धारणा ने एक नया आयाम और एक बड़ा मतलब हासिल कर लिया है। अब इसे सब–फील्ड माना जाता है और इसे पॉलिटिकल बिहेवियर का एक सब–एरिया माना जाता है। वोटिंग बिहेवियर की स्टडी इसलिए मशहूर हुई है क्योंकि यह देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टियों या ग्रुप्स में बदलाव के बावजूद, वोटर की पसंद समय के साथ काफी स्थिर रह सकती है। यह स्थिरता वोटिंग बिहेवियर की स्टडी को दिलचस्प और लोकतंत्रटिक प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी बनाती है। वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना, वोटर बिहेवियर और उसके असर के बारे में पक्के नतीजे निकालना मुश्किल है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों की वोटिंग की साइकोलॉजिकल प्रोसेस को उनकी सोच, भावनाओं और मोटिवेशन के साथ–साथ पॉलिटिकल एक्शन के साथ–साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस और चुनावों पर उनके असर जैसे इंस्टीट्यूशनल पैटर्न के संबंध में एनालाइज करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। यानी, दूसरे अर्थ में, वोटिंग बिहेवियर पॉलिटिकल बिहेवियर के दायरे में आता है। साइकोलॉजिस्ट द्वारा एनालाइज किए गए पॉलिटिकल बिहेवियर और वोटिंग बिहेवियर शब्द बिहेवियर स्टडी के उन पहलुओं का सुझाव देते हैं, जो राजनीति विज्ञान के धारणात्मक अर्थ में असल में अलग हैं।

के.टी. जंगम (1982) एक जाने–माने राजनीतिक विश्लेषण–कर्ता हैं, उन्होंने वोटिंग बिहेवियर की दो कैटेगरी बताई हैं। पहली, वोटिंग प्रेफरेंस, जिसका मतलब है कि वोटर किसी खास पार्टी, कैंडिडेट या पॉलिसी को कितना पसंद या नापसंद करता है। दूसरी, वोटर की एक्टिविटी जिसमें उनके एक्शन या उनकी पसंद शामिल हैं।

वोटिंग बिहेवियर पर साइकोलॉजिकल फैक्टर का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें पार्टी की पहचान और वोटर का रवैया शामिल है। **कैंपबेल एट अल. (1960)** के अनुसार, पार्टी की पहचान किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक साइकोलॉजिकल जुड़ाव है जो वोटिंग बिहेवियर पर असर डालता है। यह पहचान एक फिल्टर की तरह काम करती है जिसके जरिए वोटर पॉलिटिकल जानकारी को समझते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनके चुनावी विकल्प बनते हैं। पार्टी की पहचान का कॉन्सेप्ट वोटिंग बिहेवियर के इमोशनल और कॉग्निटिव पहलुओं को हाईलाइट

करता है, जिससे पता चलता है कि लोग अक्सर अपने लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल जुड़ाव के हिसाब से वोट करते हैं **(कैंपबेल, कन्वर्स, मिलर, और स्टोक्स, 1960)**।

तार्किक चयन सिद्धांत वोटिंग बिहेवियर पर एक और नजरिया देती है, जो चुनाव में हिस्सा लेने तार्किक चयन की भूमिका पर जोर देती है। **डाउन्स (1957)** के अनुसार, वोटर वोटिंग के नुकसान और फायदों को देखते हैं और कैंडिडेट और पॉलिसी के बारे में अपनी पसंद और उम्मीदों के आधार पर फैसले लेते हैं। यह तरीका बताता है कि वोटर अपने पर्सनल इंटरेस्ट और वैल्यू के हिसाब से कैंडिडेट और पॉलिसी चुनकर अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं।

कैंडिडेट का रुझान आम तौर पर किसी नागरिक की वोट देने की इच्छा तय करने वाले सबसे खास वजहों में से एक माना जाता है। फिर भी, यह हमेशा उसकी इच्छा को रोकने में अहम भूमिका नहीं निभाता, खासकर ऐसे सिस्टम में जहां पार्टी का संगठन, अनुशासन और लगाव वोटर के व्यवहार पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। रुझान के ये वजहें हर देश, इलाके, राज्य वगैरह में अलग–अलग होती हैं, और कभी–कभी तो कैंडिडेट और वोटर के हिसाब से भी अलग–अलग होती हैं, क्योंकि मौजूदा अलग–अलग वजहों का असर वोटर के व्यवहार पर पड़ता है और उसे गाइड करता है। यही स्थिति देश के उन चुनाव क्षेत्रों या इलाकों में भी होती है जहां पार्टी की पहचान और उसके लिए रेगुलर सपोर्ट कम होता है। जिन राज्यों या देशों में एक पार्टी सिस्टम है, वहां पार्टी ही वोटर के व्यवहार को तय करने वाली वजह होती है, कैंडिडेट नहीं। यही स्थिति देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, वोटिंग का चुनाव विरोधी पार्टियों और उम्मीदवारों की आइडियोलॉजी, प्रोग्राम और पॉलिसी के हिसाब से होता है। लेकिन ऐसे देश में जहां लोकतंत्र की जड़ें नहीं हैं और यह एक्सपेरिमेंट के स्टेज में है, वहां स्टेटस, पोजीशन, असर, पैसा, जाति, करिश्मा वगैरह जैसे ट्रेडिशनल क्राइटेरिया वोटर्स पर काफी असर डालते हैं। इसलिए, वोटिंग बिहेवियर का वोटर्स की सोशल और इकोनॉमिक खासियतों से सीधा रिश्ता मानना बहुत मुश्किल होगा। यह सच है कि भारत में तेजी से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, फिर भी पॉलिटिकल बिहेवियर बाहरी फैक्टर्स से फ्री नहीं है ।

राजस्थान के मतदाताओं के व्यवहार

राजस्थान के मतदाताओं के व्यवहार को कई कारक प्रभावित करते रहे हैं इसमें जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र ,भाषा, राष्ट्रीय हित, राजनीतिक व दलीय विचारधारा ,ऐतिहासिक विरासत आदि प्रमुख है आधुनिक अर्थतंत्र व तकनीकी विकास की इस युग में चुनावी राजनीति का बाजारीकरण कॉरपोरेट जगत व सोशल मीडिया भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण बन गए हैं।

राजस्थान की राजनीति पारंपरिक रूप से द्विदलीय (भाजपा–कांग्रेस) रही है जिसमें सत्ता परिवर्तन का 5 साल का रिवाज प्रमुख है। मतदाता विकास, जातिगत समीकरण, पानी,कृषि और जनकल्याणकारी योजनाओं पर वोट करते हैं। उम्मीदवार की छवि और जातीय गुटबाजी का भी परिणामों पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है जो अक्सर राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं।

शीसन (1957) उन्होंने राजस्थान की परंपरागत राजनीति तथा राजनीतिक दलों का अध्ययन किया है सामान्य मतदान व्यवहार की चर्चा की है। इनके अनुसार राजस्थान की राजनीति में सामंती प्रभाव सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होता है तथा समय के अनुसार इसमें बदलाव होने की संभावना दिखाई जाती है जो कि वर्तमान परिपेक्ष में सत्य होता प्रतीत हो रहा ळें

भंडारी (2007) राजस्थान की राजनीति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जाने बिना उसके वर्तमान को समझना मुश्किल है। इस पुस्तक में 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 2006 तक की राजस्थान की राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों को दृ ष्टिगोचर किया गया है। जाति की भूमिका को समझे बिना राजस्थान की राजनीति को समझना मुश्किल है। इस पुस्तक में भी राजस्थान के आमजन के मत व्यवहार को मनो–राजनीतिक रूप से नहीं पहचाना जा सका है अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस दिशा में शोध को विस्तार प्रदान करना अत्यंत अपरिहार्य प्रतीत होता है।

सक्सेना (1996) राजस्थान में ''समूहों की राजनीति'' एवं गुटबाजी को जातीय पृष्ठभूमि से जोड़कर ही देखा जा सकता है। समूहों की राजनीति का भारत में सबसे शास्त्रीय उदाहरण राजस्थान ही है। केन्द्र–राज्य संबंधों की विस्तृत पड़ताल राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में करते समय समूह आधारित दलों को प्राथमिकता देते हुए करनी चाहिए। राजस्थान की राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीतिक प्रचार के माध्यम से समझने के लिये अनुसंधान का विस्तार आवश्यक है, जिसमें सोशल मीडिया एक नवीन आयाम के रूप में उभर रहा है।

मीणा(2013) उपरोक्त शोध कार्य में लेखक द्वारा राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारको की विस्तार से चर्चा की गई है जिसमें उन्होंने जाति ,सामाजिक आर्थिक स्तर, राजनीतिक दलों के लीडर के रूप में मुख्य चेहरा ,इत्यादि कारको को मुख्य माना है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कारको के साथ–साथ राजस्थान की राजनीति मे सोशल मीडिया एक नवीन आयाम के रूप में उभरा जिसका राजस्थान में होने वाले विभिन्न चुनाव के मतदान व्यवहार पर प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं अतः सोशल मीडिया की राजस्थान के चुनावो मे भूमिका को विश्लेषित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

राजस्थान के मतदान व्यवहार के मुख्य कारक

सत्ता बदलने का रिवाज राज्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि पिछले कई दशकों से सत्ता हर पांच साल में बदलती रहती है, राजस्थान में 1993 से भाजपा और कांग्रेस बारी–बारी से सत्ता में रही है जहां हमें यह देखने को मिला है की द्विदलीय व्यवस्था बन गई है इसका मुख्य कारण हमें देखने को यह मिलता है कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कोई भी क्षेत्रीय दल आवश्यक बहुमत जुटाने से बहुत दूर नजर आता है। द्वि–ध्रुवीय मुकाबला मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है जिससे वोट प्रतिशत काफी नजदीकी रहता हुए राजस्थान की चुनावी राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाली एक सख्त द्विध्रुवीय प्रणाली द्वारा परिभाषित है । राजनीतिक स्थिरता सुदृढ सरकार भारतीय मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र में सुदृढ और सक्षम सरकार चाहते है। जो एक इकाई की भाँति काम कर सके और देश को राजनीतिक

स्थिरता प्रदान करते हुए उसके लिए अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर सके। इसमे सन्देह नहीं कि चुनावो के माध्यम से सरकारें चलती रहती है तथा मत्रिमण्डलो का परिवर्तन होता रहता है परन्तु ऐसे परिवर्तन से प्रशासन में कोई परिवर्तन नही होता है। 1977 से पूर्व तक काग्रेस द्वारा ऐसा ही शासन दिया जा रहा था लेकिन 1977 में जब मतदाता को यह विश्वास हो गया कि जनता पार्टी भी स्थायी शासन देने में समर्थ है। राजस्थान का मतदाता अपनी सरकार को स्थिर देखना चाहता है एवं वह चाहता है कि बार–बार जो बदलाव होते हैं सरकार में उसकी वजह से जो एक नीतिगत समस्या रहती है, उसके बजाय केवल भाजपा और कांग्रेस को ही चुना उसको ज्यादा बेहतर लगता है

जातीय समीकरण जाति राजस्थान की राजनीति में निर्धारक तत्त्व के रूप में जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्त्व रहा है। मतदान व्यवहार में जातिगत राजनीति का प्रभाव भौगोलिक एवं संख्यात्मक दृष्टि से प्रभावशाली है। जातिवाद का तथ्य राजस्थान के सभी जिलों में प्रभावी है। मतदान व्यवहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव उन जातियों में अधिक पाया जाता है। जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुसख्यक है और जो अपने मतों के बल पर अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में है।

स्वतंत्रता के पूर्व भी जब व्यस्क मताधिकार प्रचलित हुआ इस पर जाति का प्रभाव रहा है। और स्वतंत्रता के बाद भी इसका प्रभाव कम होता दिखाई नही दे रहा है। इसलिये नागरिक अपना मताधिकार का प्रयोग जाति के प्रभाव में आकर ही करते है और मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना अपना कर्त्तव्य समझते है। जैसे कि कहावत है, "जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को" इसलिए मतदान–व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जातिवाद है। राजस्थान की निर्वाचन प्रक्रिया को जातिवाद ने पिछले सौ सालो से निश्चित रूप से प्रभावित किया है। राजनीति में जातिवाद का स्वरूप क्षेत्रीय न होकर अखिल भारतीय है। देश के किसी भी राज्य को ले लें उम्मीदवार की जाति मतदाताओं को बेहद प्रभावित करती है। हमारा संविधान जाति के आधार पर किसी भी प्रकार

का भेदभाव नहीं करता है, लेकिन राजस्थान का मतदाता सबसे पहले यही देखता है कि, चुनाव में किस–किस जाति के उम्मीदवार है ।

जय प्रकाश नारायण ने एक बार कहा था भारत में जाति सर्वप्रमुख राजनीतिक दल है। जे. पी. की यह उक्ति राजस्थान की राजनीति के संन्दर्भ में एक दम सही प्रतीत होती है। क्योकि राजस्थान के मतदाताओं का अधिकांश भाग जाति से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करता है, जाति आधारित राजनीति गावो में अभी भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं यद्यपि नगरों में जाति का प्रभाव कम देखा जाता है। राजस्थान की राजनीति में जाति की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसे कम करने के लिये राजनीतिक चेतना का विकास सामान्य जन के स्तर पर किया जाना चाहिये। अन्यथा जातिगत राजनीति में और वृद्धि हुई तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी। राजस्थान की राजनीति में जातिवाद विशेष रूप से उन स्थानों पर ज्यादा है जहाँ जनता अशिक्षित, निर्धन व पिछडी हुई है और राजस्थान में अधिकाश जनता की स्थिति ऐसी ही है, इसलिये जाति का प्रभाव चुनाव पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चुनावों में मतदाता, चरित्र एवं योग्यता की बजाय जाति और समुदाय के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। जाति की भूमिका राजस्थान के चुनावों में महत्वपूर्ण है, जिसमें राजपूत,जाट,मीणा,गुर्जर,वैश्य आदि जातियां, उम्मीदवारों के चयन और मतदान को प्रभावित करती हैं।

वंशवाद की राजनीति : पैट्रिक फ्रेंच, अ पोर्टट्रेट, (2011) ने कहा कि वंशवादी राजनीति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही हैं। फ्रेंच ने देखा कि 30 साल से कम का हर सासद अपनी सीट विरासत में लेकर आया है। संतोष देसाई, राजनीतिक समीक्षक ने इडिया टूडे में लिखा है कि परिवर्तन की दिशा यह है कि राजनीतिक परिवार अब कारोबारी घराना बन गया है, जो अपनी सम्पत्तियो का भरपूर उपयोग करना चाहता है। नेता जिस क्षेत्र से निर्वाचित होता हैं, उसका मालिक बन जाता है। और मानता है कि, वह उसे जिसे चाहें सौंप सकता है।

आर्थिक स्थिति या आर्थिक संसाधन : आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है। आर्थिक नीतियो और आर्थिक चिन्तन में सार्थक बदलाव लाने वाले तत्त्व मतदान व्यवहार के निर्धारक रहे है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में उपयोगी कृषि नीति, अकाल राहत कार्य तथा आर्थिक सुधारों की तेज रफ्तार आदि से राजनीति प्रभावित होती हैं। इसके साथ–साथ गरीबी हटाओ जैसे जुमलों का प्रचलन रहा हैं, जो कि मतदान व्यवहार को प्रमुखता से प्रभावित करते हैं।

राजस्थान के चुनावों में धन,शराब आदि का बोलबाला रहता हैं, वोट के ठेकेदार गरीब मतदाताओं में पैसे बाटते है। तथा चुनावों के बिचौलिए पैसा लेकर अपने क्षेत्र या जाति के वोट किसी उम्मीदवार को दिला देते है। अत्यंत निर्धन व्यक्ति को उसके मत की स्वायत्तता की बजाय पैसा, शराब आदि ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। यह कोई अस्वाभाविक बात नही है। सामान्यतया यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते है। अन्यथा शासक दल के विरूद्ध । इसी कारण शासक दल की यह चेष्टा रहती है कि, चुनाव अच्छे कृषि वर्ष में हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल की पराजय का एक प्रमुख कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयां थी। जिसके लिये उन्होने जनता दल और जनता सरकार को उत्तरदायी माना।

यदि शासन प्रगतिशील आर्थिक नीतियों का अवलम्बन एवं कार्यान्वयन करे तो मतदाता उसके पक्ष में मतदान करेगा। आर्थिक नीतियो और आर्थिक चिन्तन में सार्थक बदलाव लाने वाले तत्त्व मतदान व्यवहार के निर्धारक रहे है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उपयोगी कृषि नीति, अकाल ग्रस्तता में अकाल राहत के उपाय, प्याज की कीमतें, भूमि सुधार कानून सरकार की अनीति से किसानों को आत्महत्या, आर्थिक सुधारों की तेज रफ्तार आदि से राजनीति का प्रभावित होना अथवा गरीबी हटाओ जैसे नारे इस तथ्य के परिचायक है, कि आर्थिक कारक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है। क्योकि धर्म व जाति के अलावा उम्मीदवार की आर्थिक हैसियत भी मतदान को प्रभावित करती है। क्योंकि लगभग एक चौथाई जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तथा इसके अलावा बहुत बडी सख्या में ऐसे लोग भी है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे गरीब जनतंत्र में विवकेशील मतदान व्यवहार की अपेक्षा करना सामान्य परिस्थितियों में कठिन है।

आज चुनाव बहुत महंगे हो गये है। इन महंगे चुनावो से दो नुकसान होते है एक तो ऐसे चुनाव वे लोग नहीं लड़ पाते जिनके पास योग्यता है किन्तु पैसे व पर्याप्त साधन नहीं हैं। तो दुसरी तरफ कई बार उम्मीदवार,मतदाताओं को पैसा देकर उनके वोट खरीद लेते है। मतदान की पूर्वसध्या पर झुग्गी–झोपड़ियों व मलिन बस्तियों में उम्मीदवारों के कार्यकर्ता, शराब और पैसा बांटते देखे जा सकते है। माना जाता है कि, जो उम्मीदवार जितना अधिक पैसा खर्च करेगा उसके जीतने की सम्भावना उतनी ही अधिक हो जायेगी। इसलिये कार्पोरेट जगत की बड़ी–बड़ी हस्तियाँ राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में आर्थिक सहायता भी करते हैं।

इस तरह से कहा जा सकता हैं कि राजनीति में आर्थिक सक्षमता मायने रखती हैं। अंतः उच्चवर्गीय मतदाताओं के राजनीतिक विचार, मूल्य और निर्णयन में स्वायत्तता अधिक होती हैं, जबकि मध्यम और निम्नवर्गीय मतदाता जाति, धर्म और फ्रीबीज जैसे कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं।

संदर्भ सूची:

1. चक्रबर्ती, बिदयुत. एवं पांडे, राजेन्द्र. (2018).*लोकल गवर्नन्स इन इंडिया.* सैज पब्लिकैशन इंडिया ।
2. बसु ,दुर्गा दास.(2024).*भारत का संविधान.* गुरुग्राम लेक्सिसनेक्सिस।
3. बक्शी. पी .एम .(2016).*भारत का संविधान* . न्यू दिल्ली यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग ।
4. बसु ,दुर्गा दास.(2021).*शॉर्टर कान्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया* . गुरुग्राम लेक्सिसनेक्सिस।
5. राय, अरूंधति (2012). *कठघरे में लोकतंत्र,* राजकमल प्रकाशन , नई दिल्ली।
6. राठौड़, एल.एस. (1986). *पॉलिटिकल एण्ड कॉन्स्टिट्युशनल डेवलेपमेंट इन राजस्थान,* (1920–49) रिसर्च पब्लिशर्स, जोधपुर।
7. लज़ार्फ़ेल्डपॉलय बेरेलसन बर्नार्ड एवं गौडेट हेजल (1968). *द पीप्यूल्स चोइस,* यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ कोलबिया।
8. लिप्पमेन, वाल्टर (1922). *पब्लिक ऑपिनीयन,* हरकोर्ट ब्रेस एंड कंपनी, न्यूयार्क।
9. वर्मा, कल्याण प्रसाद, (2020). *सोशल मीडिया और सामाजिक सरोकार,* साहिल प्रकाशन जयपुर।
10. वर्मा, एस. पी. एवं नारायण, इकबाल (1973). *वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिग सोसायटी : ए केस स्टडी ऑफ द फोर्थ जनरल इलेक्शंस इन राजस्थान,* नेशनल पब्लिशर्स, दिल्ली।
11. विलनाटी, लार्स (2009). *इलेक्शन इन इंडियाः वन बिलियन पीप्यूल एण्ड डेमोक्रेसी,* सिराकस यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स।
12. वीनर, मायरन (1968). *स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया,.* यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ प्रिन्सटन।
13. शर्मा, रामशरण.(1959). *भारत का प्राचीन इतिहास.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ।
14. सिंह.यू .बी.(2009). *डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस.* न्यू दिल्ली कान्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी ।